न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

इजराय प्रार्थना पत्र संख्या : 334/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/424

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
वीरसिंह पुत्र श्री सांवतसिंह जाति राजपुत निवासी घाणेराव तह. देसूरी जिला पाली राज.	बनाम	तहसीलदार देसूरी

दरख्वास्त इजराय डिक्री– ऑर्डर 21 कायदा 11
राजस्व अपील संख्या 14/2010 डिक्रीदार वीरसिंह विरुद्ध मदयुन
तहसीलदार देसूरी में तारीख डिक्री : 03.11.2011

–:निर्णय:–

दिनांक: 29.11.2024

प्रार्थी वीरसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी घाणेराव तहसील देसूरी, जिला पाली राज. ने इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सीपीसी के तहत माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के राजस्व अपील प्रकरण संख्या 14/2010 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2011 की पालना करवाने हेतु पेश किया।

दरख्वास्त इजराय डिक्री ऑर्डर 21 कायदा 11 अनुसार राजस्व अपील संख्या 14/2010 डिक्रीदार वीरसिंह विरुद्ध मदयुन तहसीलदार देसूरी में तारीख डिक्री : 03.11.2011 माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 की पालना आज दिनांक तक मदयून द्वारा नहीं की गई हैं, जबकि मदयून की उपस्थिति में ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर डिक्रीदार के नाम गत खसरा नम्बर 710 हाल खसरा न. 3228 में से 500 वर्गगज भूमि का संग्रह स्थल हेतु आवंटन हुआ था, उपरोक्त भूमि का डिक्रीदार की उपस्थिति में नाप–चौक कर कब्जा अनुसार रेकर्ड व नक्शे में तरमीम किया जाना था और इससे अधिक भूमि होने पर कब्जा हटाने की मांग की गई।

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक पः 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/88 दिनांक : 05.02.2024 के द्वारा पत्रावली स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इजराय प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जाकर प्रार्थी/अप्रार्थी को नोटीस जारी किये गयें। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित व समुन्द्र सिंह राजपुरोहित ने वकालातनामा प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का घाणेराव एवं भू–अभिलेख निरीक्षक देसूरी की संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 3228 में वीरसिंह पुत्र सावंतसिंह जाति राजपुत निवासी घाणेराव का 847 वर्गमीटर भूमि में कब्जा है, जो कि पक्की चार दिवारी से गिरा हुआ है जिसमें 7.5X 3.5 = 26.25 वर्गमीटर में पशुओं को बांधने के लिए केलुपोश का ढालिया एवं 5X 3.5 = 17.50 वर्गमीटर की नाप में केलुपोश का पशुओं हेतु चारा भण्डार बना हुआ हैं। साथ ही चार दिवारी के बीच में 8 X 8 = 64 वर्गमीटर की नाप में फसल का लाटा लेने हेतु पक्का फर्श बना हुआ है। तथा 4.5 X 1 = 4.5 वर्गमीटर की नाप में पशुओं के पानी पीने के लिए अवाला बना हुआ हैं। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 3228 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक दर्ज हैं। प्रार्थी वीरसिंह पुत्र सावंतसिंह जाति राजपुत निवासी घाणेराव को जरिये कार्यालय तहसीलदार देसूरी के आदेश क्रमांक/1205 दिनांक 29.06.1982 से संग्रहणस्थल हेतु ग्राम घाणेराव के गत खसरा नम्बर 710 की भूमि में से 500 वर्गगज भूमि आवंटन इस शर्त पर आवंटन की गई थी कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटनशुदा भूमि में स्थाई निर्माण नहीं करा सकेगा। एवं जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया है उसी उपयोग में लायेगा। सरकार इस आराजी को

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

इजराय प्रार्थना पत्र : 334/2024

उनवान : वीरसिंह बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

बिना मुआवजा दिये वापस ले सकेगीं। चुंकि प्रार्थी द्वारा आवंटनशुदा भूमि से अधिक भूमि पर मौके पर कब्जा कर शर्तों का उल्लघंन करते हुए पक्का एवं स्थायी निर्माण कार्य किया गया एवं वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार गै.मु. रास्ता दर्ज हैं। अतः प्रार्थी द्वारा शर्तों का उल्लघंन किये जाने एवं आवंटन से अधिक भूमि पर कब्जा कर पक्का एवं स्थाई निर्माण करने से प्रार्थी को आवंटन आदेश निरस्त होकर प्रार्थी का कब्जा हटाया जाना उचित हैं। साथ वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 3228 की किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि होने से 500 वर्गगज भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना उचित नहीं हैं। तदन्तर, तहसीलदार देसूरी द्वारा जरिये पत्र दिनांक 01.08.2024 एवं 13.08.2024 से अवगत कराया गया कि जैर इजराय निर्णय दिनांक 03.11.2011 न्यायालय जिला कलक्टर पाली की पालना के संबंध में श्रीमान् जिला कलक्टर पाली से उचित मार्गदर्शन मांगा गया है।

बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी अथवा सरकारी पैराकार नायब तहसीलदार देसूरी दौराने बहस अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने इजराय प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार देसूरी द्वारा बिना किसी वैध कारण के न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2011 की पालना नहीं की जा रही है, अतः विचाराधीन इजराय प्रार्थना पत्र में तहसीलदार देसूरी को उक्त निर्णय की पालना हेतु निर्देशित करावे। बहस के दौरान बावजुद सूचना के तहसीलदार देसूरी एवं सरकारी पैराकार नायब तहसीलदार देसूरी अनुपस्थित।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर इजराय आदेश दिनांक 03.11.2011 में न्यायालय जिला कलक्टर पाली द्वारा मौजा घाणेराव के वर्तमान खसरा संख्या 3228 के संबंध में निर्णय दिया गया था कि **"परिणामस्वरुप अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार देसूरी के न्यायालय के प्रकरण संख्या 39/2009 सरकार बनाम वीरसिंह आदेश दिनांक 31.03.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के नाम गत खसरा नम्बर 710 में 510 वर्गगज का संग्रहणस्थल आदेश दिनांक 29.06.1982 को किया गया है, उस भूमि का नापचौक अपीलाण्ट की उपस्थिति मे कर कब्जा अनुसार रेकॉर्ड एवं नक्शें में तरमीम करें तथा बाद नापचौक अपीलाण्ट को 500 वर्गगज से अधिक भूमि पर कब्जा है तो बाद जांच व सुनवाई के विधि अनुसार कब्जा हटाने की तुरन्त कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जाए।"** उक्त निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। सरकारी पक्ष जानने हेतु तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्राचार का भी अवलोकन किया गया।

यह एक निर्विवाद तथ्या है कि न्यायालय जिला कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 03.11.2011 की तहसीलदार देसूरी द्वारा आदिनांक पालना नहीं की गई है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 C.P.C. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, जो कि दिनांक 06.01.2023 को दर्ज किया जाकर विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से यह भी जाहिर है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 03.11.2011 के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की है। अर्थात तहसीलदार देसूरी द्वारा इजराय अधीन आदेश दिनांक 03.11.2011 की न तो पालना की गई और न ही उक्त आदेश से व्यथित व असंतुष्ट होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद तहसीलदार देसूरी ने श्रीमान जिला कलक्टर पाली से जरिये पत्रांक/राजस्व/2024/621 दिनांक 29.07.2024 से एक मार्गदर्शन मांगा है कि "चूंकि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर 3228 रकबा 0.23 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज है, अतः उक्त प्रकरण में उचित मार्गदर्शन करावे ताकि माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर बाली में विचाराधीन इजराय प्रार्थना पत्र में आगामी नियत तिथी को सरकार की ओर से पैरवी की जा सकें"। उक्त पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 03.11.2011 की पालना के संबंध में क्या एवं किस बिन्दु पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। न तो कोई स्मरण पत्र इत्यादि पत्रावली पर उपलब्ध है और न ही कोई मार्गदर्शन (if any received) तहसीलदार देसूरी द्वारा न्यायालय हाजा को उपलब्ध कराया गया है।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

इजराय प्रार्थना पत्र : 334/2024
उनवान : वीरसिंह बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

प्रार्थी अथवा डिक्रीदार माफिक निर्णय दिनांक 03.11.2011 डिक्रीदार के नाम गत खसरा नम्बर 710 हाल खसरा नम्बर 3228 मौजा घाणेराव में से 500 वर्गगज भूमि का संग्रह स्थल हेतु आवंटन हुआ था, उपरोक्त भूमि का डिक्रीदार की उपस्थिति में नापचौक कर कब्जा अनुसार रेकॉर्ड व नक्शे में तरमीम करवाना चाहता है। इस संबंध में संग्रहणस्थल हेतु प्रार्थी के आवेदन पत्र एवं तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन आदेश दिनांक 29.06.1982 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी द्वारा उक्त आवंटन आदेश में अंकन किया गया है कि " हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रार्थी वीरसिंह पुत्र सांवतसिंह राजपूत निवासी घाणेराव को मौजा घाणेराव के खसरा नम्बर 690 में 500 वर्गगज का मवेशी बान्धने के प्रयोजनार्थ अस्थाई संग्रह अस्थाई तौर पर आवंटित किया जाता है। प्रार्थी स्थायी निर्माण नहीं करा सकेगा। "

अर्थात प्रार्थी को उक्त भूमि गत खसरा नम्बर 710 हाल खसरा न. 3228 में से 500 वर्गगज भूम राजस्व भू–राजस्व (संग्रहणस्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1961 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 के अन्तर्गत अस्थायी सग्रहस्थल हेतु " अस्थायी तौर पर आवंटित " की गई थी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी जाहिर होता है कि उक्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में आदिनांक नियमन नहीं हुआ है।

सम्पूर्ण पत्रावली के अध्ययन अवलोकन, बहस में उठाए गए तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि :–

1. तहसीलदार देसूरी से यह अपेक्षित था कि यदि जैर इजराय आदेश दिनांक 03.11.2011 से व्यथित व असन्तुष्ट थे, तो सक्षम अपीलीय न्यायालय में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील करते अथवा आवटंन शर्तो के उल्लंघन अर्थात प्रार्थी द्वारा स्थायी निर्माण करने की दशा में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 98 की उपधारा 2 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवंटन को रद्द करते। किन्तु तहसीलदार देसूरी द्वारा न तो उपरोक्त दोनों विकल्पों का प्रयोग किया गया और न ही जैर इजराय आदेश दिनांक 03.11.2011 की पालना की गई। इतनी लम्बी अवधि तक, बिना किसी आधार के किसी न्यायिक निर्णय की पालना को लम्बित रख कर तहसीलदार देसूरी द्वारा न तो केवल प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात किया गया है अपितु न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त की भी अवहेलना की गई है।
2. चूंकि प्रार्थी को तहसीलदार देसूरी द्वारा आदेश दिनांक 29.06.1982 से गत ख.न. 710, हाल ख.न. 3228 में से 500 वर्गगज भूमि अस्थायी सग्रहस्थल हेतु अस्थायी तौर पर आवंटित की गई थी और जिसका प्रार्थी के पक्ष में आदिनांक नियमन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी की यह मांग वैधानिक रुप से परिपोषणीय नही है कि न्यायालय जिला कलक्टर पाली के निर्णय दिनांक 03.11.2011 के अनुरुप उक्त भूमि का प्रार्थी के पक्ष में रेकॉर्ड एवं नक्शे में अमलदरामद किया जाए।

अतः विचाराधीन इजराय प्रार्थना पत्र बजतरफ प्रार्थी वीरसिंह की आंशिक स्वीकार करते हुए सि.प्र.सं. के आदेश 21 नियम 23 एवं 24 के प्रावधानान्तर्गत निर्णय दिनांक 03.11.2011 न्यायालय जिला कलक्टर पाली की पालना के संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं :–

1. तहसीलदार देसूरी इस निर्णय प्रति की प्राप्ति दिनांक से एक माह के भीतर आलोच्य आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर पाली दिनांक 03.11.2011 के संबंध में सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील/नो अपील के संबंध में समुचित निर्णय लेवें।
2. उपरोक्त समयावधि में अपील दायर नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार प्रार्थी की उपस्थिति में ख.न.3228 में अस्थायी संग्रहस्थल हेतु आवंटित 500 वर्गगज भूमि का नापचौक कर प्रार्थी को कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही करेंगे तथा कब्जा सुपुर्द कराने से पूर्व तहसीलदार देसूरी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर करवाये गए स्थायी निर्माण को हटा दिया जावे।
3. उपरोक्तानुसार 500 वर्गगज भूमि का कब्जा सुपुर्द कराने के उपरान्त ख.न. 3228 में प्रार्थी का अतिरिक्त भूमि पर कब्जा पाया जाए, तो तहसीलदार राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 के प्रावधानानुसार समुचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए शेष भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करेंगे।

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

इजराय प्रार्थना पत्र : 334/2024

उनवान : वीरसिंह बनाम तहसीलदार देसूरी अन्तर्गत इजराय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

4. चूंकि प्रश्नगत आवंटन अस्थाई संग्रह स्थल हेतु अस्थायी तौर पर किया गया था, जिसका प्रार्थी के पक्ष में आदिनांक नियमन नहीं हुआ है तथा राज भू–राजस्व (सग्रह स्थल हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1961 के नियम 4(क) में भी स्पष्ट प्रावधान है कि " आवंटित भूमि में आवंटिति को स्वामित्वाधिकार नहीं होगा, जो कि सरकार में निहित होगा। " अतः मौजा घाणेराव के ख.न. 3228 में प्रार्थी को अस्थायी संग्रह स्थल हेतु आवंटित 500 वर्गगज भूमि का राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शे में अमलदरामद नहीं किया जाए।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बलवन्त सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)